रितु बराला मामले में कांग्रेस का धरना समाप्त, अब अदालत में लड़ेंगे कानूनी लड़ाई

पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज करने से किया इनकार, लिखित जवाब मिलने के बाद डोटासरा ने दी हाईकोर्ट जाने की चेतावनी

जयपुर। रितु बराला मामले में जीरो एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के बाहर चल रहा कांग्रेस का धरना बुधवार को समाप्त हो गया। पुलिस अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के बीच दूसरे दौर की वार्ता के बाद पुलिस ने लिखित में दिया कि मामले में जीरो एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। पुलिस ने इसके पीछे परिवादी की ओर से पहले ही दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में परिवाद दिए जाने और कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया। लिखित जवाब मिलने के बाद कांग्रेस ने अब सड़क के बजाय अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की कानूनी टीम से राय लेने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने कानून की गलत व्याख्या की है और इसी कारण एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया जा रहा है।

डोटासरा ने आरोप लगाया कि तीन दिनों तक मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं के फोन तक रिसीव नहीं किए। कांग्रेस की ओर से आंदोलन तेज करने का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने वार्ता की। डोटासरा ने कहा कि यदि पुलिस की यही कानूनी राय थी, तो कांग्रेस को तीन दिन पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए था। इससे समय बचता और पार्टी अब तक अदालत पहुंच चुकी होती।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पुलिस से लिखित में यह जवाब मांगा था कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 173ए लागू नहीं होती है। पुलिस की ओर से लिखित जवाब मिलने के बाद अब इसी आधार पर अदालत में कानूनी चुनौती दी जाएगी। डोटासरा ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कानून की गलत व्याख्या कर रहे हैं और पुलिस पर दिल्ली से दबाव है। कांग्रेस के आंदोलन को भाजपा की ओर से नौटंकी बताए जाने पर डोटासरा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिस बेटी के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की जा रही है, उसके लिए संघर्ष करना नौटंकी नहीं हो सकता। पीड़िता को न्याय दिलाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है।

डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने की मांग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मामले में कानून की गलत व्याख्या करने वाले पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय कराने के लिए भी कानूनी विकल्प तलाशेगी। उन्होंने धरने में शामिल विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए उनके संघर्ष की सराहना की।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कानून में शिकायत दर्ज नहीं होने की स्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और न्यायालय का रुख करने के प्रावधान हैं। कांग्रेस इस मामले में दिल्ली पुलिस के संबंधित अधिकारियों के साथ जयपुर पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेगी, जिनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय करने की मांग पुलिस कमिश्नर तक के स्तर पर भी की जाएगी। जूली ने आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है।

पुलिस अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के बीच दूसरे दौर की वार्ता के बाद पुलिस ने लिखित में दिया कि मामले में जीरो एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी।

- **डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की कानूनी टीम से राय लेने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे**

'सरकारी काम में भागीदार बनेंगे स्टार्टअप्स'

जयपुर। गुलाबीनगर के स्टार्टअप्स के लिए अच्छी खबर है। जयपुर लोकसभा सांसद मंजू शर्मा ने शहर को आईटी हब बनाने और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सरकारी विभागों की परियोजनाओं से जोड़कर रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देने की पहल की है। इस संबंध में सांसद मंजू शर्मा ने जयपुर नगर निगम सहित विभिन्न सरकारी संस्थानों में काम के अवसर उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। भामाशाह टेक्नोहब में बुधवार को महिला स्टार्टअप संस्थापकों के साथ संवाद के दौरान महिला उद्यिमयों ने सांसद मंजू शर्मा से कहा कि नगर निगम, बाल अधिकारिता, कृषि, मेडिकल सहित विभिन्न विभागों में ऐसे कई कार्य हैं, जिनमें स्टार्टअप्स अपने उत्पादों, तकनीक और सेवाओं के माध्यम से योगदान दे सकते हैं। इससे महिला उद्यिमयों को कारोबार बढ़ाने के अवसर मिलने के साथ अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं। उन्होंने सरकारी तंत्र तक पहुंच, योजनाओं की जानकारी के अभाव और काम मिलने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयां बताने के साथ ही यह सुझाव दिया कि ऐसा एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाए, जहां सभी सरकारी विभागों की योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यों, पात्रता शर्तों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध हो। इससे स्टार्टअप्स अपनी विशेषज्ञता के अनुरूप अवसरों की पहचान कर सकेंगे और संबंधित विभागों तक पहुंच आसान होगी। इस संबंध में सांसद मंजू शर्मा ने हाथों हाथ एक पत्र सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्यवर्धन को लिखकर भिजवा दिया।

पोषण माह -2026 में राजस्थान का द्वितीय स्थान

जयपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए गर्व का क्षण है। राष्ट्रीय पोषण माह - सितंबर 2026 के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान ने पूरे भारत में द्वितीय (2) स्थान प्राप्त कर इतिहास रचा है राजस्थान में 9 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 9वां राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया। पोषण माह के दौरान प्रदेशभर में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण संबंधी जनजागरूकता, अन्नप्राशन, गोदभराई, कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण एवं प्रबंधन, पोषण वाटिका, स्वस्थ बालक स्पर्धा जैसे कार्यक्रमों का सघन आयोजन किया गया। जिसमें प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 113.66 उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने समस्त टीम, विभागीय अधिकारियों, जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को हार्दिक बधाई दी है।

उन्होंने कहा कि -"यह उपलब्धि हमारी फील्ड की बहनों की दिन-रात की मेहनत, लगन और समर्पण का परिणाम है। राजस्थान सरकार कुपोषण मुक्त राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान के लक्ष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"

इन जिलों जिला समन्वयक , जिला परियोजना सहायक, ब्लॉक समन्वयक एवं समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने असाधारण समर्पण दिखाते हुए पूरे प्रदेश के सामने एक मिसाल पेश की है।

मुख्य सचिव ने नव-पदोन्नत 16 आईएएस अधिकारियों की बैठक ली

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत 16 अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को पदोन्नित पर बधाई देते हुए सुशासन, तकनीकी नवाचार और जनहित की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस में एआई की उपयोगिता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने नव-पदोन्नत अधिकारियों को शासन सचिवालय स्थित संपर्क कॉल सेंटर का दौरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को वहाँ प्राप्त परिवेदनाओं की प्रक्रिया को समझने तथा 10 प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मिशन कर्मयोगी के बिहेवियरल कॉम्पिटेंस और लीडरशिप मॉड्यूल से जुड़े पाठ्यक्रम पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन पाठ्यक्रमों से अधिकारियों की प्रशासनिक कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता को मजबूती मिलेगी।

सर्वे पूरा होते ही राहत कार्य शुरू : किरोड़ी

जयपुर। राजस्थान में बारिश की कमी और संभावित अकाल को लेकर सियासत गर्मा गई हैं। कांग्रेस जहां किसानों और पशुपालकों की परेशानी का हवाला देकर भजनलाल सरकार पर तत्काल राहत देने का दबाव बना रही है, वहीं सरकार का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराया जा रहा हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए कहा स्पष्ट किया कि सर्वे पूरा होने और अकाल घोषित किए जाने के बाद राहत कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। किरोड़ी मीणा ने कहा कि प्रदेश के आठ से दस जिले ऐसे हैं, जहां बारिश कम हुई है। सरकार के अधिकारी और जिला कलेक्टर लगातार स्थिति की जानकारी जुटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे में समय लगता है और राजस्व विभाग इसकी प्रक्रिया पूरी कर रहा है। रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पश्चिमी राजस्थान के जिलों में कम बारिश और चारे-पानी की कमी को लेकर चिंता जताई जा रही है। गहलोत ने अक्टूबर की शुरुआत में दावा किया था कि जोधपुर के करीब 2,000 गांवों, बाड़मेर के 2,460 गांवों, बालोतरा के 1,216 गांवों और जैसलमेर के 961 गांवों में सूखे जैसे हालात हैं। उधर, कृषि और राजस्व विभाग के सर्वे से प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति आंकलन कर रहा है। कम बारिश का असर केवल फसलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पशुओं के लिए चारा, ग्रामीण पेयजल और किसानों की आजीविका पर भी पड़ सकता है। कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा ने कहा कि सरकार के पास अधिकारियों से सूचनाएं आ रही हैं और सर्वे पूरा होने के बाद अकाल घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 748/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री अमित अनुपम पुत्र श्री बद्रीनारायण वर्मा निवासी 1-ए, 98 शिव शक्ति कॉलोनी, साइन्स पार्क के सामने, शास्त्री नगर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) . के अन्तर्गत संगीत आश्रम संस्थान कार्यालय पता-1-ए, 98 शिव शक्ति कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 7.10.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 14.12.26

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-टेण्डर निविदा सूचना

EPC मोड के आधार पर सिंगल स्टेज टू पैकेट सिस्टम मुख्य विद्युत अभियंता/परियोजना, उ. प. रेलवे, जयपुर द्वारा भारत संघ के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये खुली ई-निविदा का ऑन लाईन ई-टेण्डर आमंत्रित किया जाता हैं। निविदाकार अपना मूल /परिवर्तित प्रस्ताव ई-निविदा बंद होने की तारीख व समय से पूर्व ऑन लाईन भर दें। **1. ई-टेण्डर नोटिस संख्या** : बोली/पैकेज नंबर EL-PROJ-PSI-JP-EPC-03 **2. कार्य का नाम व लोकेशन:** नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जयपुर डिवीज़न के रेवाड़ी –अलवर–बांदीकुई सेक्शन में 2x25 KV ट्रैक्शन सिस्टम (स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर) के तहत 132/55 KV ट्रैक्शन सबस्टेशन, सेक्शनिंग पोस्ट (SPs) और सब–सेक्शनिंग पोस्ट (SSPs) का डिज़ाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग। **3. अनुमानित लागत** : रूपये 183,92,49,492.37/– **4. धरोहर राशि** : रूपये 3,67,85,000.00/– **5. कार्य पूरा होने की अवधि** : 540 दिन **6. ई-टेण्डर भरने की अंतिम तिथि और समय** : 22/12/2026 (15:00 hrs.) **7. वेबसाईट का विवरण** : **www.ireps.gov.in नोट:** कोई भी मैन्युवल टेण्डर स्वीकार नही किया जायेगा।

1517-CQ/26

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय

जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853

क्रमांक-3639 दिनांक-21/10/26

आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा फ्लैट संख्या 10/MA/59(SF) इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 28.58 वर्ग मीटर का आवंटन श्री अभय जैन पुत्र श्री मुन्ना लाल जैन को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 228 दिनांक 13.04.2016 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त फ्लैट के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 04/07/2016 को करवाया गया। पंजीयन उपरान्त आवंटी श्री अभय जैन पुत्र श्री मुन्ना लाल जैन के द्वारा उक्त फ्लैट का बेचान जरीये विक्रय पत्र उर्वशी खण्डूजा पुत्री श्री राधाकृष्ण को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उपपंजीयक जयपुर पंचम से दिनांक 09/09/2016 को पंजीबद्ध करवाया गया। तत्पश्चात उर्वशी खण्डूजा पुत्री श्री राधाकृष्ण के द्वारा उक्त फ्लैट का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्री हिमांशु तनेजा पुत्र श्री मदन लाल तनेजा को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उपपंजीयक जयपुर द्वादश में दिनांक 26/12/2025 को करवाया गया। श्री हिमांशु तनेजा पुत्र श्री मदन लाल के द्वारा फ्लैट का मूल आवंटी के नाम पंजीयन हो जाने के बाद पश्चातवर्ती अंतिम क्रेती का नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने बाबत निवेदन किया गया है। अतः नाम दर्ज के संबंध में किसी भी व्यक्ति / बैंक / संस्था को कोई आपत्ति हो तो विहित प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत करदे, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री हिमांशु तनेजा पुत्र श्री मदन लाल का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जायेगा।

सम्पदा प्रबंधक राज. आ. मण्डल वृत तृतीय, जयपुर

संख्यांक 2

विवाद्यको के स्थिरीकरण के लिये सम्मन

439/15/10/26 (आदेश 5 के नियम 1 और 5)

नाम न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर जयपुर द्वितीय महानगर

कैनरा बैंक (सिंडिकेट बैंक) विरुद्ध **श्रीमती सुशीला**

वाद बाबत वसूली वाद सं.1196 सन् 2018

नाम- श्रीमती सुशीला पत्नी श्री मंगलचंद, जाति-स्वामी, निवासी- प्लॉट सं.17, सुन्दर नगर, शास्त्री नगर, जयपुर

वादी ने आपके विरुद्ध वसूली के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 19.11.2026 को दिन में 10.30 एएम बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए सम्मन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेज़ों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख 15 माह 10 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

मोहर

अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर, जयपुर महानगर द्वितीय

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम शाह रीनाबेन महेन्द्रभाई (Shah Reenaben Mahendrabhai) से बदलकर रीना मेठी (Reena Methi) पत्नी अमित कुमार मेठी निवासी C-13 लक्ष्मीनारायण पुरी सूरजपोल गेट बाहर जयपुर रख लिया है, भविष्य में मुझे Reena Methi के नाम से जाना पहचाना जावें।

I have changed my name from Esther Jiju to Esther Jiju Thomas D/o Jiju Kuroor Thomas. I Reside: N-1 Block, Room No. 101, SDMH Hospital, Bhawani Singh Marg, Jaipur, Rajasthan. I Would be Known by the Above Name in the future.

कार्यालय नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर-15)

क्रमांक :– जसअ/2026/265 दिनांक: 16.10.2026

ई-बोली सूचना सं. 04/2026-2027

नगर निगम जयपुर में वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु दर संविदा पर स्टेशनरी का सामान निविदा द्वारा आपूर्ति/क्रय कार्य हेतु पंजीकृत/रजिस्टर्ड फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी/अनुभवी संवेदक से दिनांक 02 नवम्बर 2026 को दोपहर 01.00 बजे तक ई–बोली आमंत्रित की जाती है। स्टेशनरी का सामान की अनुमानित लागत, बोली अमानता राशि, बोली प्रपत्र शुल्क, आर.आई.एस.एल. शुल्क एवं अन्य सम्बन्धित सूचना/निविदा शर्तो आदि का सम्पूर्ण विवरण www.sppp.rajasthan.gov.in, www.jaipurmc.org. & www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

UBN No. :-JMC2627GLOB00678

उपायुक्त (स्टोर)
नगर निगम जयपुर।

राज.संवाद/सी/26/12185

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान जयपुर

(Phone: 0141-2820360, E-mail: dirarch@rajasthan.gov.in)

क्रमांक-पु.स./तक./स्मा./कठपुतली/2026/21993 दिनांक-9/10/26

सूचना

जयपुर स्थित स्मारकों यथा आमेर महल, जंतर-मंतर हवामहल, अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़, सिसोदिया रानी का बाग एवं विद्याधर का बाग पर पुरस्कृत एवं ख्याति प्राप्त परंपरागत कठपुतली कलाकारों को अपनी कला के प्रदर्शन हेतु प्रतिचक्र के अनुसार अस्थायी रूप से निःशुल्क स्थान उपलब्ध करवाए जाने हेतु समाचार पत्रों में दिनांक 30-06-2026 को विज्ञिप्त प्रकाशित की गई थी। इस विज्ञिप्त के माध्यम से निर्धारित पत्र में कठपूतली कलाकारों द्वारा विभाग में आवेदन किया गया है। प्राप्त आवेदन पत्रों में से अधिकांश आवेदनकर्ताओं ने विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ चाहे गए सम्मान पत्र/पुरस्कार/आदि के प्रमाण पत्रों को संलग्न नहीं किया है।

अतः ऐसे कलाकारों, जिन्होंने आवेदन पत्र के साथ अपने अनुभव एवं सम्मान पत्रों / पुरस्कारों / प्रशंसा इत्यादि प्रमाण पत्रों को संलग्न नहीं किया है, वे अनुभव संबंधी प्रामाणिक दस्तावेज दिनांक 31-10-2026 तक कार्यालय, विरासत संग्रहालय, किशनपोल बाजार, जयपुर में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर सांय 05.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 31-10-2026 को सायं 5 बजे तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उनके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे, जिसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

UBN: AMD2627SSOB00077

DIPR/C/17667/2026

निदेशक

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक-4318 दिनांक-15/10/26

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास / फ्लैट संख्या 30/52(LIG) का आवंटन श्री भगवत स्वरूप खन्ना पुत्र श्री रामकृष्ण खन्ना को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2667 दिनांक 19.02.1996 को जारी किया गया था। जिसका भौतिक कब्जा दिनांक 14.06.1996 को प्राप्त किया गया। श्री भगवत स्वरूप खन्ना की मृत्यु दिनांक 12.12.2023 को हो जाने के कारण उनकी पुत्री सुश्री समता खन्ना पुत्री स्व. श्री भगवत स्वरूप खन्ना द्वारा आवासन मण्डल में अपना नाम पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सुश्री समता खन्ना पुत्री स्व. श्री भगवत स्वरूप खन्ना का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सहायक, सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक-4372 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक-21.10.2026

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास / फ्लैट संख्या 34/348 (FF) (MIG-B) का आवंटन श्री भगवत स्वरूप खन्ना पुत्र श्री राम कृष्ण खन्ना को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2667 दिनांक 19.02.1996 को जारी किया गया था। जिसका भौतिक कब्जा दिनांक 14.06.1996 को प्राप्त किया गया। श्री भगवत स्वरूप खन्ना की मृत्यु दिनांक 12.12.2023 को हो जाने के कारण उनकी पुत्री सुश्री समता खन्ना पुत्री स्व. श्री भगवत स्वरूप खन्ना द्वारा आवासन मण्डल में अपना नाम पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सुश्री समता खन्ना पुत्री स्व. श्री भगवत स्वरूप खन्ना का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सहायक, सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

सार्वजनिक संशोधित सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम वाटिका, टूटोली तहसील चाकसू, जिला जयपुर स्थित मेरी खातेदारी भूमि में श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर द्वारा वर्ष 2011 में "राधा कृष्ण फार्म हाउस" योजना के अंतर्गत कुल 29 भू-खण्डों के पट्टे काटे गए थे। उक्त भूमि में उचित रास्ते के अभाव के कारण व आसपास के खेतों में डंडे में दवी होने के कारण ले-आउट प्लान रिवाइज करना आवश्यक हो गया था, जिसकी आम सूचना दिनांक 18.03.2026 को दैनिक राष्ट्रदूत समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी, जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। समिति के अध्यक्ष व मंत्री द्वारा उक्त रिवाइज में सहयोग न करने के कारण यह संशोधित सूचना मैं खातेदार एवं संयोजक व्यवस्थापक होने के नाते अपने स्तर पर जारी कर रहा हूँ। रिवाइज के अनुसार उक्त योजना के समस्त 29 भू-खण्डों को रिवाइज कर दिया गया है। पूर्व में जारी समस्त 29 पट्टों को निरस्त कर दिया गया है। रिवाइज प्लान एवं पट्टे के संबंध में जानकारी हेतु व्यवस्थापक से संपर्क करें। यदि किसी व्यक्ति को इस रिवाइज से कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित करे, अन्यथा यह माना जाएगा कि सभी को रिवाइज स्वीकार है।

सूचना कर्ता- गोविंद प्रसाद सैनी
खातेदार एवं संयोजक व्यवस्थापक
प्लॉट नंबर 80 गली नंबर 7 दशहरा कोठी
गोविंद नगर, आमेर रोड जयपुर। मो. 7297036512

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)

क्रमांक-8449 दिनांक-21/10/26

खुली निविदा सुचना

कार्यालय हाजा की समस्त शाखाओ एवं अधिनस्थ कार्यालय पुलिस लाईन थानों एवं चौकियों के उपयोग हेतु वित्तीय बर्ष 2026-27 के लिये कार्टिज क्रय करने के लिये सक्षम जी.एस.टी.एन. रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ताओं से वार्षिक दर पर संविदा हेतु खुली निविदा दिनांक 22.10.2026 समय 12:00 पी.एम.तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन 05:00 पी.एम पर निविदाताओं या उनके द्वारा मनोनित प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। उक्त निविदा सूचना विभागीय बेवसाईट sppp.rajsthan.gov.in पर देखी जा सकती है। खुली निविदा सूचना का विवरण निम्नानुसार है।

सामग्री का नाम	अनुमानित राशि	निविदा फार्म	धरोहर राशि	निविदा खोलने की दिनांक
1- Black Cartridge MFP-477 DW 2- Cyan Cartridge MFP-477 DW 3- Meganta Cartridge MFP-477 DW 4-Yellow Cartridge MFP-477 DW 5- Toner Cartridge HP-403 DW- 6- Black Printer 2606 DW 158x	9.00 लाख/- रूपये मात्र	500/- रूपये	18000/- रूपये	दिनांक 22.10.2026 समय 05:00 पी.एम.

पुलिस अधीक्षक,
जिला सवाई माधोपुर

नामांकन संबंधी अपने विवरण अपडेट करें

उनकी सुरक्षा के लिए, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं

- सभी बैंक जमा खातों और लॉकरों में नामांकन पंजीकृत करें।
- ऑनलाइन या ऑफ़लाइन माध्यमों से नामांकन प्रक्रिया पूरी करें।
- नामांकन अपडेट रखें।

आप एक साथ अधिकतम **4** नॉमिनी को शामिल कर सकते है। बैंक जमा राशियों के लिए प्रत्येक नॉमिनी की हिस्सेदारी निर्दिष्ट करें।

या

अधिकतम **4** नॉमिनी को क्रमिक रूप से शामिल करें। बैंक जमा राशियों और साथ ही सुरक्षित जमा लॉकरों के लिए प्राथमिकता का क्रम निर्दिष्ट करें (पिछले नॉमिनी/यों की मृत्यु होने की स्थिति में)।

अधिक जानकारी के लिए,
https://rbikehtahai.rbi.org.in/nomination-and-settlement पर जाएं

आधिकारिक वॉट्सएप नं.
99990 41935 / 99309 91935

जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in